



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62517

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 284/2026

मालती एवं अन्य .....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य .....प्रत्यर्थी

याचीगण के अधिवक्ता: रमाशंकर यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 89

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X,

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित श्री अमृत राज चौरसिया, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका इस आशय के साथ दायर की गई है कि बंदी/याची संख्या 1 मालती पत्नी हिमांशु यादव को इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए जाएं और प्रत्यर्थी संख्या 4 के अवैध और बलपूर्वक निरोध से याची संख्या 1 की कस्टडी याची संख्या 2 को दिलाने का निर्देश दिया जाए।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची संख्या 1 मालती (कार्पस), याची संख्या 2 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और उसे प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, जो कि कार्पस के पिता हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 कार्पस को अपनी अभिरक्षा से जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।
4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि याची और कार्पस ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह संपन्न किया है। प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 उक्त विवाह से प्रसन्न नहीं हैं।
5. दी गई परिस्थितियों में, जब याची यह दावा करता है कि कार्पस उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, तो उसके लिए यह उचित होगा कि वह बी.एन.एस.एस. (BNSS) की धारा 101 के तहत उचित आवेदन दाखिल करके संबंधित सी.जे.एम. (CJM) से संपर्क करे।
6. तदनुसार, याचिका निस्तारित की जाती है।

(अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



24 मार्च, 2026

मुकेश

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"